न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

1. भैरूलाल पिता गेहरीलाल जी, जाति लौहार, निवासी सुरजी का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. मांगीलाल पिता गेहरीलाल जी, जाति लौहार, निवासी सुरजी का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. शांतिलाल पिता गेहरीलाल जी, जाति लौहार, निवासी सुरजी का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. सोहनलाल पिता गेहरीलाल जी, जाति लौहार, निवासी सुरजी का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. तुलसीराम पिता गेहरीलाल जी, जाति लौहार, निवासी सुरजी का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती मगनीबाई पत्नी गेहरीलाल जी, जाति लौहार, निवासी सुरजी का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती धापू कुंवर उर्फ धापू बाई पत्नी भंवरसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कुडी (जावड़), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. पटवारी, पटवार हल्का जावड़, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय, सनवाड़, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 15.05.2017 प्र॰सं॰ 148/16

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री खेमराज डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

24–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरजी का गुडा में आराजी नंबर 3522 से 3525 कुल किता 4 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमियों में प्रार्थीया का 3/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 से 6 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है। मौके पर सहखातेदारान ने आपसी विभाजन कर शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमियां संयुक्त दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रार्थीया के कब्जे शुदा भूमि भूमाफियाओं को विकय हस्तान्तरण करना चाहते हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि रहन, बैह, बक्षीय या हस्तान्तरित नहीं करें तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा मौके पर रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 15–05–2017 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र

आंशिक रूप से स्वीकार कर मूलवाद के निर्णय तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये तथा एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 15–05–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19–09–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को प्रथम बार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 28–08–2017 को हुई। तत्पश्चात् नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि दिनांक 15–05–2017 को अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार निर्णय उभयपक्षों की उपस्थिति में उनकी बहस सुनकर किया गया है, तद्नुसार अपीलान्ट को प्रथम बार जानकारी दिनांक 28–08–2017 को होने का कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है, फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री खेमराज डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता को कैम्प की कोई सूचना नहीं दी गयी। वादग्रस्त भूमि मौरूसी होकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अजनवी केता है, ऐसी स्थिति में विधिवत बंटवाड़े की बिना वह वादग्रस्त भूमि में प्रवेश नहीं कर सकती। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं

पर विस्तार पूर्वक निर्णय पारित नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपीलान्टगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथ प्रकरण पुनः विधि अनुसार जवाब प्राप्त करने का अवसर देकर तथा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण जवाब/तलबी में चल रहा था, किन्तु विपक्षीगण/अपीलान्टगण का बिना जवाब लिये प्रकरण लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से त्रुटि पूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–05–2017 अपास्त किया जाता है तथा इन निर्देशों के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्टगण/विपक्षीगण का जवाब प्राप्त कर तथा उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 22–07–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर